PARMAR SSC

SSC GK

PARMAR'S GK BATCH

TOPIC

DPSP & Fundamental Duties

Lecture :- 5

For Notes Join Telegram :

Click on the icon.

OR Scan

For Lectures Subscribe Our Parmar SSC Youtube Channel

Click on the icon.

OR Scan

भाग-4

राज्य के नीति निर्देशक तत्व

अनुच्छेद - 36 से 51

ग्रहण - आयरलैण्ड

अनुच्छेद 36 : राज्य की परिभाषा (अनु० 12 के समान)

अनुच्छेद 37 : यह अप्रवर्तनीय है। (Non-Justiciable)

अम्बेडकर - 'नवीन विशेषता' (Novel features)

ग्रैनविल ऑस्टिन - 'संविधान की समझ' (Conscience of the Constitution)

→ इन्हे 'निर्देशों का साधन' माना गया है।

└→ भारत शासन अधिनियम 1935

└→ गवर्नर जनरल

→ यह राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण / लोककल्याण की बात करते है।

→ यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात करते है।

(राजनीतिक लोकतंत्र - F.R.)

अनु-38 Welfare → अनु०-39 LDC PHC → अनु०-39(A) Free legal Aid → अनु०-40 Panchayat ↓

अनु०-41 Right to work → अनु० - 42 Just & Humane conditions, maternity relief → अनु०-43 Living wage → अनु० - 43(A) Participation of workers in the management of industries

└→ अनु० 43(B) सहकारी समिति

PARMAR SSC

अनुच्छेद 38 : यह राज्य को लोगो के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए अधिकृत करता है।

अनुच्छेद 39 : L DC PHC

- Livelyhood - पुरुषो & स्त्रियो को पर्याप्त आजीविका के साधन।
- Distribution - समाज के भौतिक संसाधनो का उचित स्वामित्व एवं वितरण।
- Centralization - आय एवं उत्पादन के संसाधनो का अहितकारी केन्द्रीकरण का निषेध।
- Pay - स्त्रियो एवं पुरुषो को समान कार्य के लिए समान वेतन।
- Health - स्त्रियो / पुरुष श्रमिको / बच्चो को प्रतिकूल रोजगार मे जाने से बचाना।
- Children - बच्चो का गरिमा के साथ विकास एवं उन्हे प्रत्येक प्रकार के शोषण से बचाना।

अनुच्छेद 39(A) : समान अवसर के आधार पर न्याय देना, निशुल्क कानूनी सहायता, गरीबो को अन्याय का शिकार न होना पडे।

अनुच्छेद 40 : ग्राम पंचायतो का गठन।

अनुच्छेद 41 : कुछ मामलो मे काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार।

PARMAR SSC

अनुच्छेद 42 : काम और मातृत्व अवकाश (maternity leave) की न्याय-संगत और मानवीय स्थितियों का प्रावधान।

अनुच्छेद 43 : मजदूरों / श्रमिकों को निर्वाह योग्य मजदूरी।

43(A) : उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।

43(B) : सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।

अनुच्छेद 44 : समान नागरिक संहिता

अनुच्छेद 45 : 0-6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा

अनुच्छेद 46 : SC/ ST/ OBC के हितों की अभिवृद्धि।

अनुच्छेद 47 : पोषण स्तर को उच्च करना / मदिरा निषेध।

अनुच्छेद 48 : कृषि और पशुपालन का संगठन

48(A) - पर्यावरण का संरक्षण और सुधार / वन्य जीवों की रक्षा

अनुच्छेद 49 : राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और धरोहरों का संरक्षण।

अनुच्छेद 50 : न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण।

अनुच्छेद 51 : अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।

* 42 वां संविधान संशोधन

- गरीब - (निशुल्क विधिक सहायता - अनु० 39(A)
- श्रमिक - (उद्योगों में भागीदारी - 43(A)]
- बच्चे - (विकास का अवसर) (39)
- पर्यावरण (48(A))

PARMAR SSC

* 44 वां - आय, सुविधाओ व अवसर की असमानता को दूर करना (अनु० 38)

* 86 वां - अनु० 21A, अनु० 45, अनु० 51A(K)
[6-14 वर्ष तक के बच्चो को निशुल्क प्राथमिक शिक्षा।]

* 97 वां - सहकारी समिति (अनु० 43(B))

मौलिक अधिकार Vs DPSP

- चम्पाकम दोराईराजन मामला (1951) - मौलिक अधिकार, DPSP से ऊपर है। मौलिक अधिकारो को संशोधित किया जा सकता है।

- गोलकनाथ मामला (1967) - संसद, मौलिक अधिकारो को नही छीन सकती।

- 24 वां संविधान संशोधन - संसद, मौलिक अधिकारो को संशोधित कर सकती है।

- 25 वां - (1) अनु० 39(B), (C) मे वर्णित निदेशक तत्वो को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को अनु० 14, 19 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारो के उल्लंघन के आधार पर चुनौति नही दी जा सकती। (2) न्यायपालिका विरोध नही कर सकती।

- केशवनन्दा भारती मामला (1973) - (13 जज) मौलिक अधिकारो मे संशोधन किया जा सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचा मे परिवर्तन किये बिना।

PARMAR SSC

PARMAR SSC

25 वां संविधान संशोधन में पहला प्रावधान - संवैधानिक (✓)
दूसरा प्रावधान - असंवैधानिक

- **मिनर्वा मिल्स मामला** - संविधान मौलिक अधिकार और DPSP के संतुलन पर टिका हुआ है। न तो मौलिक अधिकार ऊपर है और न ही DPSP। दोनों संतुलन में है।

→ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक के एक चेक की तरह है जो बैंक की सुविधानुसार देय होता है- प्रो० के टी शाह।

मौलिक कर्तव्य

सरदार स्वर्ण सिंह → भूतपूर्व सोवियत संघ

- 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गये। (प्रधानमंत्री - इंदिरा गांधी)
- मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हे 42 वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। भाग- 4(क) - अनु० 51 (A)
- अंतिम मौलिक कर्तव्य - 51 A(k) को 86 वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया।

  वर्तमान - 11 मौलिक कर्तव्य

मौलिक कर्तव्य:

1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।

2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।

3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे।
4. देश की रक्षा करें।
5. भारत के सभी लोगो मे समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें।
10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रो में उत्कर्ष की ओर बढने का सतत प्रयास करें।
11. माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। (86वां संशोधन द्वारा)

→ मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय पर लागू है न कि विदेशी नागरिको पर।

→ मौलिक कर्तव्यो का नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है।

→ 51A(K) मौलिक कर्तव्य प्रावधान अनु० 21(A) के समान है।

PARMAR SSC